न्यायलय उपखण्ड अधिकारी परबतसर जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :– श्रवणी पत्नी सांवताराम उर्फ भंवरा राम जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी बाजवास जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादी :– रूपाराम पुत्र सांवताराम उम्र 26 जाति जाट निवसी बाजवास तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान

दावा बाबत :– घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती
उपस्थित :– वादीनी स्वंय एवं प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :– 69/2021 निर्णय दिनांक :– 06/12/24

निर्णय

1. वादीनी की ओर से अधिवक्त श्री विजेन्द्रसिंह ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बाजवास की राजस्व सीमा में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5400 हैक्ट. खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 हैक्ट. खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0200 हैक्ट. खसरा नम्बर 52 रकबा 2.3200 हैक्ट. कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.8900 हैक्ट स्थित है जिसमें वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार काश्तकार है। वादीनी एंव प्रतिवादी लगातार संयुक्त कब्जा काश्त करते है। सम्पूर्ण कृर्षि भूमि में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2,1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है वादीनी के पति का घर में एंव गांव में बोलता नाम भंवरा होने से वादीनी के पति को घर पर भंवरा के नाम से पुकारा जाता है तथा परन्तु वादीनी के पति का नाम सांवताराम है यह दोनो नाम एक ही महिला के है तथा राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति का नाम भंवरा राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज हो गया वादीनी के पति का वास्तविक नाम सांवताराम है। वादीनी के राशनकार्ड आधार कार्ड पहचान पत्र बैक खाता पैन कार्ड,व वादीनी जन अधार कार्ड एंव भामाशाह कार्ड व जोब कार्ड एंव अन्य सरकारी दस्तावेजो में वादीनी का नाम श्रवणी पत्नि सांवताराम अंकित है तथा पूर्व में भी वादीनी द्वारा बैक से ऋण प्राप्त किया था बैक के दस्तावेजो में भी भंवरा उर्फ सांवताराम है परन्तु राजस्व रेकर्ड में सांवताराम के स्थान पर केवल भंवरा अंकित है। इस कारण वादीनी अपने खातेदारी अधिकारो का विधी अनुसार उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। वादीनी वे तमाम पहचान पत्र में सांवताराम अंकित होने से तथा वास्तविक नाम सांवताराम है परन्तु राजस्व रेकर्ड में भंवरा राम दर्ज होने से वादीनी अपने कृर्षि भूमि किसी भी वित्तिय संस्थान से ऋण लेकर अपनी कृर्षि भूमि को विकसित नही कर पा रही है तथा न ही अपने खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण भी किसी प्रकार से करने में असमर्थ है क्योकि वादीनी के सभी सरकारी दस्तावेजो में श्रवणी पत्नि सांवताराम नाम दर्ज है। वादी के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने की जानकारी वादीनी को वर्तमान में बैक द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए खतौनी की नकल प्राप्त करने पर तथा कृर्षि ऋण प्राप्त के लिए बैक में जाने पर सभी दस्तावेजो में श्रवणी पत्नि सांवताराम दर्ज होने पर एंव राजस्व रेकर्ड में श्रवणी पत्नि भंवरा दर्ज होने के कारण ऋण नही दिये जाने का कहने पर वादीनी के पति का सही नाम सावताराम दर्ज कराने के लिए राजस्व रेकर्ड में रेकर्ड दुरस्त फरमाते हुए वादीनी का नाम श्रवणी पत्नि भंवराम के स्थान पर श्रवणी पत्नि सांवताराम का नाम घोषित फरमाये जाने हेतु घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। वादीनी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बाजवास की राजस्व सीमा में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5400 हैक्ट. खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 हैक्ट. खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0200 हैक्ट. खसरा नम्बर 52 रकबा 2.3200 हैक्ट कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.8900 हैक्टयर स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण सक्षम रूप से काबिज काश्तकार होने से वादीनी का नाम श्रवणी पत्नि भवरा के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए वादीनी का नाम श्रवणी पत्नि सांवताराम सही नाम होने से राजस्व रेकर्ड में श्रवणी पत्नि सांवताराम घोषित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान में पेश हुई जहां वादिया व अप्रार्थी दोनो ने उपस्थित हो कर पत्रावली के सबध में बताया पत्रावली तलब की गई मजमेआम में पूछताछ की गई। प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार परबतसर नें राजपैरोकार की हैसियत से राज हित नही होने से जबाब प्रस्तुत नही किया गया है । मै श्रवणी देवी मेरी शादी बाल्यावस्था में भंवरा राम के साथ हुई जिनकी मृत्यु 8 वर्ष की उम्र मे हो गई फिर मेरी दूसरी शादी भंवरा राम के छोटे भाई सांवताराम के साथ हुई थी। वर्तमान में श्रवणी देवी पत्नि सांवताराम की पत्नि हूँ अतः मैं श्रवणी पत्नि भंवराराम व श्रवणी पत्नि सांवताराम की हकदार मैं श्रवणी देवी ही हूँ और मैरा इकलौता वारिश रूपाराम है। भंवरा राम बिना वारिसान 8 वर्ष की उम्र स्वर्गवास हो गया था जिसके बाद उनके भाई सांवताराम व खातेदार भंवराराम के वारिसान श्रवणी देवी एंव पुत्र रूपारा पुत्र सांवताराम ही इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नही है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत बाजवास के सरंपच व पंचायत समिति सदस्य श्री श्रवण राम एंव अन्य मौजिज व्यक्ति द्वारा बताया कि प्रार्थी श्रवणी देवी पत्नि सांवतारा श्रवणी देवी पत्नि भंवरा राम दोनो एक ही व्यक्ति है अन्या कोइ दूसरा व्यक्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थी का पुत्र है ने भी एक बालीया जबाब पेश कर वादीनी के वाद को स्वीकार किया है। जिससे वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बाजवास के खसरा नम्बर 343 रकबा 1.5400 हैक्ट.,खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0200 खसरा नम्बर 52 रकबा 2.3200 हैक्ट. कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.8900 हैक्ट में वादिनी का नाम श्रवणी पत्नि भंवरा राम के स्थान पर श्रवणी पत्नि सांवताराम नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

06/12/24

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर